हारे का सहारा मुख्यमंत्री हमारा

lkekftd lqj{kk iSa'ku fu;e & 2013
¼e; vkosnu i=½

tufgr esa fu'kqYd forj.k gsrq izdkf'kr

राजस्थान वालंटरी हैल्थ एसोसियेशन

,&12 ch] egkohj m|ku iFk] ctkt uxj] t;iqj

i:dk'kd dh dye ls-

माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने एक बड़ा कदम उठाते हुए वृद्ध, विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा, एवं निशक्तों को राज्य से मिलने वाली पेंशन के नियमों को काफी सरल कर दिया है। अब 75 वर्ष से अधिक उम्र के पेंशनधारियों को पेंशन की राशि भी 500 से बढ़ा कर 750 रू. प्रति माह कर दी गई है। इन नये नियमों के तहत् राज्य सरकार विशेष पेंशन अभियान चला कर राज्य के अधिक से अधिक जरूरतमन्द योग्य व्यक्तियों को लाभ पहुँचाने की इच्छा रखती है। सरकार की मंशा है कि नये नियमों के तहत् जुलाई 2013 से पेंशन का लाभ जरूरतमन्द को उसके द्वार पर या बैंक खाते में प्राप्त हो।

इस स्थिति में सभी नागरिकों और सामाजिक संगठनों का यह कर्तव्य बनता है कि इस योजना का प्रचार राज्य में व्यापक स्तर पर किया जाये। नियमों की अनभिज्ञता से योग्य व्यक्ति लाभ से वंचित नहीं रह जायें इसके लिए इस सम्बन्ध में बने नियमों का प्रचार प्रसार आवश्यक है।

इस पुस्तक में पेंशन नियम 2013 के साथ ही इस सम्बन्ध में जारी अब तक के संशोधनों को स्थान दिया गया है। सरकार ने सभी को निशुल्क पेंशन आवेदन प्रपत्र प्राप्त करने के लिए तहसील/उप तहसील, उप खण्ड अधिकारी, ग्राम पंचायत, स्थानीय निकाय तथा कोषागार/उप कोषागार कार्यालयों में व्यवस्था की है। परन्तु सम्भव है कि किसी को आवेदन प्रपत्र प्राप्त नहीं हो सकें, इसलिए पुस्तक के अंत में पेंशन आवेदन प्रपत्र को संलग्न कर दिया गया है। इसका उपयोग किया जा सकता है, इसकी फोटो प्रति करवा कर उनका उपयोग किया जा सकता है, जरूरत पड़ने पर सादा कागज पर इसकी नकल कर के भी आवेदन किया जा सकता है।

यह पुस्तक निशुल्क है। इस पुस्तक को www.rajasthanvha.org और www.gerontologyindia.com से डाउनलोड़ भी किया जा सकता है।

lR;u proinh

03 मई, 2013

कार्यकारी निदेशक

राजस्थान वालंटरी हैल्थ एसोसियेशन

पेंशन नियम 2013 के मुख्य बिन्दु

01. अब लाभार्थी के परिवार में उसे तथा उसकी पत्नी/पति को ही माना जायेगा। 18 वर्ष से कम आयु के नाबालिग निशक्त के परिवार में सिर्फ माता और पिता को ही सम्मलित माना जायेगा।

02. परिवार की कुल आय वृद्ध एवं विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिला के मामले में 48000 रू. तथा निशक्त के मामले में 60000 रू. से अधिक नहीं होनी चाहिए।

03. आय का प्रमाण–पत्र तहसीलदार/नोटरी पब्लिक से प्रमाणित होना चाहिए।

04. राजस्थान सरकार, केन्द्र सरकार, अन्य राज्य सरकार, स्थानीय निधि या किसी कानूनी निकाय, निगम, प्राइवेट निकाय/संस्था या अन्य स्रोतों से स्वयं अथवा पुत्र वेतन/पेंशन आदि प्राप्त करने वाला नहीं होना चाहिए।

05. वृद्धावस्था पेंशन के लिए महिला की आयु 55 वर्ष तथा पुरूष की आयु 58 वर्ष से अधिक, विधवा/परित्याक्ता/तलाकशुदा के मामले में 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। निशक्तता के मामले में कोई आयु सीमा नहीं है।

06. राजस्थान का मूल निबासी होना चाहिए तथा राजस्थान में ही उसका निबास होना चाहिए।

07. जीवन निर्वाह के लिए स्वयं की नियमित आय नहीं होनी चाहिए तथा कुल वार्षिक आय निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए।

08. राज्य बी.पी.एल., केन्द्रीय बी.पी.एल., अन्तोदय अथवा आस्था कार्ड धारी हो।

09. राज्य की सहरिया, कथौड़ी अथवा खैरवा जाति का सदस्य हो।

10. विधवा/परित्याक्ता/तलाकशुदा के मामले में राजस्थान एड्स कन्ट्रोल सोसायटी से पंजीकृत एच.आई.वी./एड्स रोगी हो।

11. अपने पति से 3 वर्ष या उससे अधिक समय से अलग रह रही महिला भी परित्यक्ता की पेंशन प्राप्त करने की अधिकारी होगी। इस बावत प्रमाण–पत्र ग्रामीण क्षेत्र में सरपंच, ग्राम पंचायत

सचिव तथा पटवारी व शहरी मामले में स्थानीय निकाय का प्रमुख अधिकारी, वार्ड पार्षद एवं पटवारी संयुक्त रूप से जारी करेंगे।

12. अन्धता, अल्प दृष्टि, चलन निशक्तता, कुष्ठ रोग मुक्त, श्रवण शक्ति का ह्रास, मानसिक मंदता, मानसिक रोगी में से किसी एक या अधिक में 40 प्रतिशत तक विकलांगता। प्राकृतिक रूप से बौंने व्यक्ति के मामले में वयस्क व्यक्ति की ऊँचाई 3 फुट 6 इंच से अधिक नहीं होनी चाहिए।

13. आयु के सम्बन्ध में स्कूल, ग्राम पंचायत/स्थानीय निकायें के जन्म प्रमाण–पत्र अथवा लोकसभा/विधान सभा/स्थानीय निकाय की नवीनतम मतदाता सूची में नाम के सामने अंकित आयु मान्य होगी।

14. ग्रामीण क्षेत्र में उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा शहरी क्षेत्र में मेडीकल ज्यूरिष्ट द्वारा जारी आयु प्रमाण–पत्र भी मान्य होगा।

15. दो गवाहों के साथ उप खण्ड अधिकारी या तहसीलदार के समक्ष भी आयु प्रमाण–पत्र वास्ते आवेदन किया जा सकता है। उनके द्वारा जारी प्रमाण–पत्र भी मान्य होगा।

16. आयु के सम्बन्ध में एक से अधिक अभिलेख प्राप्त होने की स्थिति में जिसमें अधिक आयु है वहीं मान्य होगा।

17. सही जन्म तिथि नहीं होने की स्थिति में गणना उस वर्ष 30 जून तक के लिए की जायेगी तथा जन्म तिथि 1 जुलाई अंकित की जायेगी।

18. पेंशन एवं आय प्रमाण–पत्रों की स्वीकृति उप खण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में गठित एक कमेटी करेगी। ग्रामीण क्षेत्र में विकास अधिकारी तथा प्रधान/उपप्रधान/सम्बन्धित क्षेत्र का पंचायत समिति सदस्य एवं शहरी मामलों में सम्बन्धित नगर निकाय का प्रमुख अधिकारी तथा महापौर/उप महापौर/सभापति/उप सभापति/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/वार्ड पार्षद सदस्य होंगे।

19. पेंशन आवेदन प्रपत्र तहसील/उप तहसील, उप खण्ड अधिकारी, ग्राम पंचायत, स्थानीय निकाय तथा कोषागार/उप कोषागार कार्यालयों से निशुल्क प्राप्त किये जा सकते हैं।

20. पेंशन आवेदन के साथ सत्यापित तीन फोटो लगाना अनिवार्य है।

21. पेंशन आवेदन निरस्त होने की अपील निरस्त होने सम्बन्धी आदेश चस्पा होने की तिथि से दो माह के भीतर जिला कलेक्टर को की जा सकती है।

22. हर वर्ष मार्च माह में सरपंच/पटवारी के सत्यापन के साथ जिन्दा होने का प्रमाण–पत्र सम्बन्धित कोषागार/उप कोषागार में प्रस्तुत करना होगा। शहरी क्षेत्र में स्थानीय निकाय के मुख्य अधिकारी ऐसा प्रमाण–पत्र देंगे।

23. इस कार्यक्रम को लो सेवाओं के प्रदान की गारन्टी अधिनियम–2011 के अन्तर्गत लिया गया है। कार्यक्रम में उत्तरदायी अधिकारियों के लिए कार्य की समय सीमा निर्धारित कर दी गई है। समय सीमा में अधिकारी द्वारा कार्य नहीं किया गया तो वह व्यक्तिगत रूप से जुर्माने का भागी होगा।

23. पेंशन राशी 8 वर्ष से कम उम्र में 250 रू., 75 साल से कम उम्र में 500 रू. तथा 75 या उससे अधिक उम्र में 750 रू. भुगतान होगी।

*****

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

क्रमांक :– एफ 9 (5) (12–1)/सा. न्या. अ. वि./08–09/5495 *दिनांक : 01.04.2013*

राजस्थान सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था, विधवा, परित्यक्ता एवं तलाकशुदा पेंशन नियम, 2013

राजस्थान राज्य के पेंशनर वृद्ध, विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा को सामाजिक सुरक्षा पेंशन की स्वीकृति एवं उसके भुगतान हेतु महामहिम राज्यपाल महोदया की आज्ञा से निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. (i) इन नियमों का नाम **'राजस्थान सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था, विधवा, परित्यक्ता एवं तलाकशुदा पेंशन नियम, 2013''** है।

(ii) ये नियम 01 अप्रेल, 2013 से लागू होंगे।

यह नियम **''राजस्थान वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन नियम, 1974'** को अतिष्ठित करते है।

पेंशन स्वीकृति के इस आदेश के जारी होने की तिथि को विचाराधीन लंबित आवेदन–पत्रों पर इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

परन्तु इन नियमों के अन्तर्विष्ट अन्य किसी बात के होते हुये भी इन नियमों के प्रभावी होने की तिथि से पूर्व जिन व्यक्तियो को ''राजस्थान वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन नियम, 1974'' के अन्तर्गत पेंशन स्वीकृत की जा चुकी हैं अथवा पेंशन का भुगतान किया जा रहा है, ऐसे व्यक्ति उपर्युक्त नियमों के अन्तर्गत पात्रता रखने की तिथि तक पेंशन प्राप्त करते रहेंगे।

अध्याय –1

2. परिभाषाएं :–

(i) **सामाजिक सुरक्षा पेंशन** से अभिप्रेत है, वृद्धावस्था, विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा पेंशन जो इन नियमों के अधीन किसी पेंशनर को स्वीकृत की जाये।

(ii) **''मूल निवासी''** से अभिप्रेत है जो राजस्थान का मूल निवासी हो एवं राजस्थान में निवास कर रहा हो।

(iii) **''आय''** से अभिप्रेत है, कि प्रार्थी के जीवन निर्वाह हेतु स्वयं की नियमित आय का कोई स्त्रोत नहीं हो।

(iv) **''पेंशन राशि''** से अभिप्रेत सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत् स्वीकृत मासिक भुगतान राशि से है जो निम्नानुसार है :–

(i) 75 वर्ष से कम आयु के पेंशनर को रु. 500/– प्रतिमाह

(ii) 75 वर्ष व अधिक आयु के पेंशनर को रु. 750/– प्रतिमाह

परन्तु यदि प्रार्थी राजस्थान सरकार/केन्द्र सरकार/अन्य सरकार/स्थानीय निधि व किसी कानूनी निकाय, निगम, प्राइवेट निकाय/संस्था या अन्य स्त्रोत से पेंशन, निर्वाह भत्ता या अन्य कोई लाभ प्राप्त कर रहा हो तो वह उक्त वर्णित पेंशन या पूर्व में प्राप्त लाभ में से जो भी लाभदायक हो, पाने का अधिकारी होगा।

(v) **''जांच अधिकारी''** ग्रामीण क्षेत्र के आवेदनों के लिए, संबंधित तहसीलदार/अति. तहसीलदार/नायब तहसीलदार तथा शहरी क्षेत्र के आवेदनों के लिए, संबंधित नगर निकाय मे पदस्थापित मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, जांच अधिकारी होंगे।

(vi) **''स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी''** ग्रामीण क्षेत्र के आवेदकों के आय प्रमाण पत्र जारी करने तथा आवेदनों की स्वीकृति प्रदान करने हेतु सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में समिति गठित होगी, जिसमें संबंधित पंचायत समिति का विकास अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि के रूप में प्रधान/उपप्रधान, संबंधित पंचायत समिति सदस्य होंगे।

शहरी क्षेत्र के आवेदकों के आय प्रमाण पत्र जारी करने तथा आवेदनों की स्वीकृति प्रदान करने हेतु सम्बन्धित उप खण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में समिति गठित होगी, जिसमें संबंधित नगर निकाय में पदस्थापित मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी एवं संबंधित नगर निकाय के जनप्रतिनिधि के रूप मं महापौर/उपमहापौर/सभापति/उप सभापति/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं संबंधित वार्ड के निर्वाचित प्रतिनिधि सदस्य होंगे।

(vii) **ग्रामीण क्षेत्र के आवेदनों की स्वीकृति के लिए स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी समिति निम्नानुसार होगी :–**

1. उपखण्ड अधिकारी / उप खण्ड मजिस्ट्रेट – अध्यक्ष

2. संबंधित विकास अधिकारी – सदस्य

3. प्रधान / उप प्रधान / संबंधित क्षेत्र का पंचायत समिति सदस्य – सदस्य।

(viii) **शहरी क्षेत्र के आवेदनों की स्वीकृति के लिए स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी समिति निम्नानुसार होगी :–**

1. उप खण्ड अधिकारी / उप खण्ड मजिस्ट्रेट – अध्यक्ष
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी / आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी संबंधित नगर निकाय–सदस्य
3. महापौर / उप महापौर / सभापति / उप सभापति / अध्यक्ष / उपाध्यक्ष / वार्ड पार्षद – सदस्य

(ix) **''पेंशन आहरण एवं वितरण अधिकारी''** से संबंधित कोष/उप कोष कार्यालय के कोषाधिकारी (पेंशन भुगतान अधिकारी)/ उप कोषाधिकारी (सहायक पेंशन भुगतान अधिकारी)/अभिप्रेत है।

(x) **''जिला पेंशन स्वीकृति एवं वितरण अधिकारी''** से संबंधित जिले का जिला कलेक्टर अभिप्रेत है।

(xi) **''अपील अधिकारी''** से अभिप्रेत है जिला कलक्टर या उनका प्रतिनिधि जो कि अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहरी क्षेत्र के लिए)/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् (ग्रामीण क्षेत्र के लिए) से कम स्तर का नहीं हो।

अध्याय –2

वृद्ध व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन

3. पात्रताः

(1) 55 वर्ष या इससे अधिक आयु की महिला तथा 58 वर्ष या इससे अधिक आयु का पुरुष जो राजस्थान का मूल निवासी हो तथा राजस्थान में रह रहा हो, एवं जिसके जीवन निर्वाह हेतु स्वयं की नियमित आय का कोई स्त्रोत नहीं हो, या

(2) वह 55 वर्ष या अधिक आयु की महिला या 58 वर्ष व अधिक आयु का पुरुष, जो किसी ऐसे परिवार का सदस्य हो, जिसका चयन ग्रामीण विकास विभाग या नगरीय शासन विभाग के अधीन किए गए सर्वेक्षण में गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों (केन्द्रीय बी.पी.एल./राज्य बी.पी.एल.) या अन्त्योदय परिवार में किया गया है, या

(3) वह 55 वर्ष व अधिक आयु की महिला या 58 वर्ष व अधिक आयु का पुरुष जो सहरिया/कथौड़ी/खैरवा जाति का हो या आस्था कार्डधारी परिवार का सदस्य हो, वृद्धावस्था पेंशन हेतु पात्र होगा।

अध्याय –3

विधवा/परिरत्यक्ता/तलाकशुदा को सामाजिक सुरक्षा पेंशन

4. पात्रता :

18 वर्ष या अधिक आयु की विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिला जो राजस्थान की मूल निवासी हो और राजस्थान में रह रही हो, पेंशन की पात्र होगी, यदि :–

(1) वह किसी ऐसे परिवार का हो, जिसका चयन ग्रामीण विकास विभाग या नगरीय शासन विभाग के अधीन किये गये सर्वेक्षण में गरीबी की सीमा रेखा से नीचे के परिवार (केन्द्रीय बी.पी.एल./राज्य बी.पी.एल.) या अन्त्योदय परिवार में किया गया है, या

(2) सहरिया/कथौड़ी/खैरवा जाति की हो या आस्था कार्ड धारी परिवार की हो, या

(3) एच.आई.वी./एड्स पॉजिटिव हो तथा राजस्थान राज्य एड्स कन्ट्रोल सोसायटी में पंजीकृत हो, या

(4) जिसके जीवन निर्वाह हेतु स्वयं की नियमित आय का कोई स्त्रोत नहीं हो।

स्पष्टीकरण :– उक्त प्रयोजन हेतु ''परित्यक्ता'' से अभिप्रेत है

(क) समस्त वैध रूप से विच्छिन्न विवाह महिलाएं जिनके पास विवाह–विच्छेद डिक्री हो,

(ख) समस्त वैध रूप से अलग हुई महिलाएं, जिनके पास न्यायालय आदेश हो,

(ग) ऐसी समस्त महिलाएं, जिनके विवाह–विच्छेद या दांपत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन चाहने के मामले न्यायालय में पांच वर्ष से अधिक समय से लम्बित हों और जिसके पास न्यायालय दस्तावेज हों।

(घ) ऐसी मुस्लिम तलाकशुदा महिलाएं जिनका तलाकनामा स्वयं के शपथ–पत्र एवं दो स्वतंत्र गवाहों के आधार पर काजी अथवा धार्मिक प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो।

अध्याय –4

वृद्धावस्था एवं विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा पेंशन हेतु आवेदन, स्वीकृति, सत्यापन, अपील एवं पुनरीक्षण की प्रक्रिया

5. आवेदन देने एवं पेंशन स्वीकार करने की प्रक्रिया

(i) ग्रामीण क्षेत्र का आवेदक, जिस तहसील/उप तहसील में निवास कर रहा है, उस तहसील/उप तहसील के तहसीलदार/नायब तहसीलदार या विकास अधिकारी (पंचायत समिति) को तथा शहरी क्षेत्र के आवेदक सम्बन्धित नगर निकाय के मुख्य कार्यकारी अधिकारी /आयुक्त/ अधिशाषी अधिकारी या उपखण्ड अधिकारी के समक्ष, प्रारूप एस. एस.पी. – I में पेंशन के लिये पूर्ण रूप से भरा हुआ, सभी आवश्यक प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रतिलिपियों सहित, आवेदन–पत्र प्रस्तुत करेगा। सम्बन्धित कार्यालय द्वारा आवेदन प्राप्त करने के उपरान्त आवेदक को रसीद दी जायेगी। आवेदन–पत्र निम्नांकित कार्यालयों से निःशुल्क प्राप्त किये जा सकेंगे :–

- तहसील/उप तहसील/उपखण्ड कार्यालय
- ग्राम पंचायत, पंचायत समिति
- नगरपालिका, नगर परिषद्, नगर निगम
- कोषागार/उपकोषागार
- जिला कलेक्टर कार्यालय

यदि मुद्रित आवेदन–पत्र उपलब्ध नहीं हो तो, आवेदन–पत्र सादा कागज पर भी प्रस्तुत किया जा सकेगा या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की वैब साईट www.sje.rajasthan.gov.in से या राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन की वेबसाइट www.rajssp.raj.nic.in से डाउनलोड किया जा सकेगा।

(ii) विहित प्रारूप में आवेदन–पत्र प्राप्त होने पर, जांच अधिकारी उसकी प्रविष्टि रजिस्टर एस. एस.पी. II में कराने की व्यवस्था करेगा। नए आवेदन–पत्र दर्ज करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उसने पूर्व में पेंशन के लिए कोई आवेदन नहीं किया था और न ही उसका कोई आवेदन–पत्र अस्वीकार ही किया गया था। अस्वीकृत आवेदन–पत्रों के लिए अलग से एक सहायक पंजिका भी संधारित की जाएगी।

(iii) उसके बाद जांच अधिकारी उक्त आवेदन–पत्र की संवीक्षा करेगा और आवेदक की जन्म तिथि, आयु अधिवास, निवास स्थान और आय या आजीविका के स्त्रोत की जांच करेगा। इन नियमों में यथा परिभाषित उसके परिवार के सदस्यों के विस्तत ब्योरों का सत्यापन करेगा। यह जन्म तिथि/आयु की जांच निम्नलिखित दस्तावेजों से, नीचे दिये गए अधिमान क्रम से करेगा :–

(क) स्कूल प्रमाण पत्र

(ख) नगरपालिका बोर्ड/नगर परिषद/ नगर निगम, पंचायतों द्वारा संघारित जन्म रजिटर/ जन्म प्रमाण–पत्र या

(ग) लोकसभा/विधानसभा/नगर निकाय की नवीनतम मतदाता नामावली, जिसमें आवेदक का नाम हो,

या

उपखण्ड अधिकारी या तहसीलदार द्वारा दिया गया आयु प्रमाण पत्र जो उसके समक्ष पेंशनर के लिखित कथन प्राप्त होने पर तथा उस पर दो गवाहों, का समर्थन प्राप्त करके और ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह उचित समझे दिया गया हो,

(घ) ग्रामीण क्षेत्र के लिए ब्लॉक उपमुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा शहरी क्षेत्र के लिए मेडिकल ज्यूरिष्ट द्वारा दिया गया आयु प्रमाण–पत्र।

(ड) मात्र आयु का उल्लेख होने पर जन्म तिथि निर्धारण की प्रक्रिया – जिन प्रकरणों में सिर्फ आयु का उल्लेख हो ऐसे प्रत्येक पेंशनर की जन्म तिथि का निर्धारण निम्नांकित प्रक्रिया द्वारा किया जायेगा :–

(अ) पेंशनर्स की आयु अथवा जन्मतिथि का सत्यापन नियम – 5 (iii) में उल्लेखित अभिलेखों यथा – विद्यालय प्रमाणपत्र, नगर पालिका/नगर निगम/नगर परिषद्/ग्राम पंचायत में संधारित जन्म पंजिका, मतदाता सूची, मतदाता पहचान पत्र राशनकार्ड, यूनिक आईडी, उपखण्ड अधिकारी या तहसीलदार/नायब तहसीलदार द्वारा दिये गये आयु प्रमाणपत्र, ग्रामीण क्षेत्र के लिए सरकारी अस्पताल के मेडिकल ब्लॉक उपमुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा शहरी क्षेत्र के लिए मेडिकल ज्यूरिष्ट द्वारा दिये गये आयु प्रमाण–पत्र के आधार पर किया जा सकता है।

(ब) ऐसे आवेदक जिनकी जन्मतिथि का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है, ऐसे प्रकरणों में

उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर आयु का निर्धारण किया जा सकता है। यदि एक से अधिक अभिलेख उपलब्ध हों तो इन अभिलेखों में से जिस अभिलेख में अधिक आयु दर्शाई गई हो, को आयु माना जाये एवं यह निर्धारित आयु उस वर्ष की 30 जून को मानी जाये। तद्नुसार उसकी जन्मतिथि उस वर्ष की 1, जुलाई को माना जाये।

(iv) जांच अधिकारी द्वारा सत्यापन का परिणाम और उस मामले में विचार करने के लिए कोई अन्य विशिष्ट सूचना, आवेदन–पत्र के प्रारूप एस.एस.पी. I के भाग II में अभिलिखित की जायेगी।

(v) सत्यापन आवश्यक रूप से आवेदन–पत्र की प्राप्ति के अधिकतम 30 दिवस की कालावधि के भीतर पूरा किया जाना आवश्यक होगा, अन्यथा सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी का राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारण्टी अधिनियम–2011 के तहत निर्धारित जुर्माना राशि अदा करने का उत्तरदायित्व होगा।

(vi) जांच अधिकारी आवेदन पत्रों की जांच एवं सत्यापन का कार्य पूर्ण करने के पश्चात् मूल प्रारूप एस.एस.पी. I को अपनी सिफारिशों के साथ स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी (सम्बन्धित विकास अधिकारी/उपखण्ड अधिकारी) के पास स्वीकृति आदेशों के लिये ऑनलाइन भेजेगा।

(vii) स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी प्रत्येक मामले पर सावधानी पूर्वक विचार करने के पश्चात् या तो प्रारूप एस.एस.पी. I के भाग III में पेंशन की स्वीकृति या दावे की अस्वीकृति संबंधी आदेश, पारित करेगा एवं उसे ऑनलाइन भेजेगा। पेंशन स्वीकृत होने पर पेंशन की स्वीकृति के आदेश प्रारूप एस.एस.पी. III सम्बन्धित कोषाधिकारी के नाम जारी करेगा। साथ ही स्वीकृति आदेश में यह भी प्रमाणित करेगा कि स्वीकृति में दिये गये तथ्यों की भली भांति जांच कर ली गई है तथा आवेदक स्वयं मेरे समक्ष उपस्थित हुआ/हुई, जिसका फोटो से मिलान कर लिया गया है, जो सही है। इसकी दो हार्ड कॉपी (जिन पर पेंशनर की प्रमाणित फोटो लगी हो) सम्बन्धित कोषाधिकारी/ उपकोषाधिकारी को भेजी जायेगी तथा पेंशनर व्यक्ति एवं सम्बन्धित जांच अधिकारी को इसकी एक प्रति पृष्ठांकित करेगा। पेंशन अस्वीकृत होने की स्थिति में इसकी सूचना स्वीकृतकर्ता अधिकारी के कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जायेगी तथा आवेदक को भी सूचित किया जायेगा। यह कार्य 15 दिवस की अवधि में आवश्यक रूप से पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा। अन्यथा सम्बन्धित अधिकारी कर्मचारी का राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारण्टी अधिनियम 2011 के तहत निर्धारित जुर्माना राशि अदा करने का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा।

(viii) स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी दो रजिस्टार रखेगा, अर्थात :–

(क) स्वीकार किये गये सामाजिक सुरक्षा पेंशन आवेदनों का रजिस्टर

(ख) अस्वीकार किये गये सामाजिक सुरक्षा पेंशन आवेदनों का रजिस्टर – रजिस्टर में की गई प्रविष्टियां स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित की जाएगी।

(ix) पेंशन स्वीकृति आदेश को ही पेंशन भुगतान आदेश माना जायेगा। पेंशन स्वीकृति आदेश प्राप्त होने पर कोषाधिकारी/ उपकोषाधिकारी द्वारा पेंशन स्वीकृति आदेश पर कोषालय/उपकोषालय में दर्ज होने की क्रम संख्या अंकित कर हस्ताक्षर किए जायेंगे तथा प्रारूप IV में पेंशन भुगतान का आदेश जारी कर पेंशन भुगतान की कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी। पेंशन भुगतान की कार्यवाही राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारन्टी अधिनियम–2011 में वर्णित निर्धारित समय सीमा में की जायेगी अन्यथा सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी का अधिनियम के तहत निर्धारित जुर्माना राशि अदा करने का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा।

6. पेंशन स्वीकृति :–

(i) किसी व्यक्ति को इन नियमों के अधीन पेंशन गुणावगुण के आधार पर देय होगी। जिन प्रकरणों में स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी किसी आवेदन पत्र को पेंशन स्वीकृति हेतु उचित नहीं मानता है। उसमें अस्वीकृति का कारण अभिलिखित करते हुए आवेदन अस्वीकृत करना होगा तथा जिन प्रकरणो में स्वीकृति पेंशन को रोकने का निर्णय लिया जाता है, उसमें भी संबंधित व्यक्ति को कारण सहित सूचित करना होगा।

(ii) सरकार आपवादिक परिस्थितियों में किसी व्यक्ति को इन नियमों के अधीन, विहित शर्तों को शिथिल करते हुए सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्वीकृत कर सकेगी।

7. पेंशन की वैधता :–

(i) बी.पी.एल. सूची में सूचीबद्ध रहने तक या

(ii) जीवन निर्वाह हेतु स्वयं की नियमित आय नहीं होने तक।

(iii) विधवा/पिरत्यक्ता/तलाकशुदा के मामले में पुनर्विवाह न करने तक होगी।

8. पेंशन का प्रारम्भ :– पेंशन सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति जारी किए जाने के माह की प्रथम तारीख से संदेय होगी।

9. पेंशन की समाप्ति :–

(i) पेंशन, पेंशनर की मृत्यु की तारीख को समाप्त हो जाएगी। मृत्यु की तारीख तक देय पेंशन की अनाहरित रकम व्यपगत हो जाएगी।

(ii) पेंशनर के राजस्थान के बाहर स्थाई या अस्थाई रूप से प्रवास की दशा में पेंशन साधारणतः समाप्त हो जाएगी। तथापि, कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी द्वारा जैसी भी स्थिति हो, पेंशनर के राजस्थान लौटने पर उसके समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की तारीख से पेंशन का पुनः संदाय प्रारम्भ किया जा सकेगा लेकिन उसके राजस्थान से बाहर रहने की कालावधि के लिए प्रोद्भुत पेंशन की बकाया संदेय नहीं होगी।

10. पेंशन की बकाया का संदाय :–

(क) यदि पेंशन की रकम एक वर्ष या इससे अधिक की कालावधि तक आहरित नहीं की जाती है तो काई बकाया संदेय नहीं होगा। तथापि, ऐसे मामलों में सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी पेंशन संदाय आदेश को नवीनीकृत करने के लिये सक्षम होगा।

(ख) ऐसे मामलों में जहां पेंशन रकम एक वर्ष से कम की कालावधि तक आहरित नहीं की जाती है वहां नियम 9 के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, निम्नलिखित प्राधिकारी बकाया के संदायक आदेश पारित करने के लिये सक्षम होंगे :–

(1)	यदि पेंशन की रकम 5 मास तक आहरित नहीं की जाये।	सम्बन्धित आरहण एवं वितरण अधिकारी
(2)	यदि पेंशन की रकम 5 मास से अधिक किन्तु 1 वर्ष से कम की कालावधि तक आहरित नहीं की जाये।	सम्बन्धित जिले का कलक्टर

11. अपील अधिकारी :– स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी के पेंशन का दावा अस्वीकार करने संबंधी आदेश के विरूद्ध अपील जिला कलक्टर को की जाएगी। अपील स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी द्वारा दिए गए आदेश के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित होने की तिथि से दो माह के भीतर की जानी चाहिए। तथापि, राज्य सरकार का सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग कलक्टर

द्वारा पारित आदेश को गुणावगुण के आधार पर कारण अंकित करते हुए पुनर्विलोकित कर सकेगा।

12. **वार्षिक सत्यापन :–** ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले पेंशनरों का प्रत्येक वर्ष मार्च माह में ग्राम सचिवालय व्यवस्था के तहत आयोजित होने वाले कैम्पों में सरपंच एवं पटवारी पंचायतवार/ग्रामवार भौतिक सत्यापन कर हस्ताक्षरयुक्त जीवन प्रमाण पत्र सूची के रूप में तैयार कर विकास अधिकारी के माध्यम से संबंधित कोषाधिकारी/उप–कोषाधिकारी को भिजवायेंगे। पेंशनर उसके निवास क्षेत्र के पटवारी और सरपंच द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित जीवन प्रमाण पत्र या राजपत्रित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित जीवन प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत कर सकेंगे। शहरी क्षेत्र में रहने वाला पेंशनर उसके निवास क्षेत्र की नगर पालिका/नगर परिषद/नगर निगम में पदस्थापित अधिशाषी अधिकारी/ आयुक्त/मुख्य कार्यकारी अधिकारी या राजपत्रित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित जीवन प्रमाण–पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे। परन्तु पेंशनर के जीवन प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति, पेंशनर की मृत्यु या अन्य किसी घटना की सूचना जो नियमों के अधीन सामाजिक सुरक्षा पेंशन के संदाय के हक से उसे वंचित करती हो, देने के लिए उत्तरदायी होगा। सन्देह की स्थिति में पेंशन भुगतान अधिकारी पेंशनर को स्वयं देखेगा, उसके/उसकी फोटो से मिलान करेगा तथा उसके पेंशन संदाय आदेश में बतलाये गये पहचान चिन्हों के संदर्भ में अपनी संतुष्टि करेगा। उप खण्ड अधिकारी/विकास अधिकारी द्वारा संधारित किए जाने वाले रजिस्टर एस.एस.पी. V में भौतिक सत्यापन का तथ्य अंकित किया जाएगा।

13. **पेंशनर की मृत्यु की सूचना :–** पेंशनर की मृत्यु हो जाने की स्थिति में पटवारी/ ग्राम पंचायत/ नगर निकाय प्राधिकारी, अथवा पोस्ट ऑफिस / बैंक सम्बन्धित कोषाधिकारी/उप – कोषाधिकारी को रिपोर्ट भेजेगा, जिसमें पेंशनर का नाम, पता, मृत्यु की दिनांक आदि की सूचना प्राप्त होने पर उप–कोषाधिकारी/कोषाधिकारी पंजिका एस. एस.पी. संख्या V में लाल स्याही से प्रविष्टि करेगा कि ''श्री/श्रीमती ..... पिता/पति श्री ..... की तारीख..... को मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई है। उक्त सूचना के आधार पर भुगतान बन्द किया गया।'' उप–कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी पेंशन बन्द करने के प्रत्येक मामले की सूचना कोषाधिकारी और स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी को भेजेगा।

14. **कलेक्टर और कोषाधिकारी द्वारा निरीक्षण :–**

(i) जिला कोषागार का निरीक्षण करते समय जिला कलेक्टर (जिला पेंशन एवं

संवितरण अधिकारी) सामाजिक सुरक्षा पेंशन रजिस्टरों का वार्षिक निरीक्षण तथा पेंशन भुगतान की नमूना जांच करेगा।

(ii) उप–कोषागार का निरीक्षण करते समय कोषाधिकारी सामाजिक सुरक्षा पेंशन रजिस्टरों का वार्षिक निरीक्षण करेगा और अपने आपका समाधान करेगा कि उसके द्वारा स्वीकृत किये गये सभी मामले उप–कोषागार के रजिस्टरों में प्रविष्ट कर दिए गए है और भुगतान नियमित रूप से व यथा समय किए जाते है। वह अपने आपका इससे भी समाधान करेगा कि उप–कोषागार के रजिस्टरों में सुधार संबंधी प्रविष्टियां जैसे पेंशन प्राप्तकर्ता की मृत्यु या उसके पते में परिवर्तन, अविलम्ब की जाती है। निरीक्षण के समय पेंशन भुगतान की नमूना जांच भी करनी होगी।

15. **सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्वीकार करने पर वर्जन (रोक) :–** उन व्यक्तियों को जिनको कि इन नियमों के अधीन सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्वीकृत की गई है, राज्य की संचित निधि में से जैसे देवस्थान निधि, मंत्रियों आदि के स्वविवेकाधीन रखे गये अनुदान से, किसी प्रकार की पेंशन या निर्वाह भत्ता या अन्य किसी प्रकार की वित्तीय सहायता स्वीकृत नहीं की जाएगी। तथापि, इन नियमों के द्वारा शासित होने वाले व्यक्ति यदि देवस्थान निधि या अन्य स्त्रोत से पहले से ही पेंशन प्राप्त कर रहे हों, तो वे उन्हें पूर्ववत् प्राप्त करते रहेंगे।

अध्याय –6

सामाजिक सुरक्षा पेंशन भुगतान की प्रक्रिया

16. (i) कोषाधिकारी और उप–कोषाधिकारी पेंशन का भुगतान करने वाले प्राधिकारी होंगे।

(ii) कोषाधिकारी या उप–कोषाधिकारी द्वारा यथा स्थिति पेंशनर को पेंशन, मनीऑर्डर द्वारा या बैंक/पोस्ट ऑफिस बचत खाते/ सरकार द्वारा विहित अन्य किसी उपयुक्त माध्यम से भेजी जायेगी। मनीऑर्डर का कमीशन पेंशन की रकम में से नहीं काटा जाएगा।

(iii) पेंशन, सम्बन्धित माह के समाप्त हो जाने के पश्चात् देय होगी। मनीऑर्डर से पेंशन भुगतान के मामलों में मनीऑर्डर रसीद यथा संभव प्राप्त कर रखी जायेगी। मनीऑर्डर लौट आने पर पेंशन का भुगतान पेंशनर के व्यक्तिगत रूप से सम्बन्धित कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी के समक्ष उपस्थित होने पर किया जा सकेगा।

(iv) यदि पेंशनर पेंशन का भुगतान व्यक्तिगत चाहे तो किया जायेगा। अगर पेंशनर

शारीरिक व मानसिक परिस्थितिवश पेंशन स्वयं प्राप्त करने में असमर्थ है तो पेंशन का भुगतान उसके संरक्षक को किया जायेगा। संरक्षक की नियुक्ति सम्बन्धित जिला कलेक्टर करेंगे। संरक्षक की नियुक्ति के लिये पेंशनर को प्रार्थना पत्र पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी के माध्यम से जिला कलेक्टर को देना होगा। पेंशन स्वीकृति से पूर्व उस अभिभावक द्वारा निहत प्रपत्र एस.एस.पी. IX में एक बंध–पत्र निष्पादित किया जाएगा कि वह आवेदक का भरण–पोषण करता रहेगा। पेंशन की स्वीकृति के पूर्व संरक्षक को निम्नलिखित इकरारनामा भरकर देना होगा :–

''मैं (नाम) ..... पुत्र ..... निवासी ..... जिला ..... स्वीकार करता हूं कि ..... (नाम पेंशन पाने वाले का) को जो राज्य सरकार से पेंशन स्वीकृत हैं, मैं उसका पालन पोषण करूंगा।''

दिनांक .....

हस्ताक्षर संरक्षक

(v) पेंशन राशि का भुगतान कोषाधिकारी और उप–कोषाधिकारी यथा सम्भव प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह तक करेंगे।

(vi) यदि पेंशनर निरक्षर हो तो किसी साक्षर साक्षी की उपस्थिति में जो मनीऑर्डर रसीद पर उसके हस्ताक्षरों को, प्रमाणित करेगा, मनीऑर्डर की रसीद पर पेंशनर के अंगूठे के निशान लगवाए जाएंगे।

(vii) पेंशन के संदाय, लेखा आदि (हिसाब–किताब) के रखे जाने के बारे में विस्तृत अनुदेश इन नियमों के परिशिष्ट 'क' में अन्तर्विष्ट है।

राज्यपाल की आज्ञा से

(अदिति मेहता)

अतिरिक्त मुख्य सचिव

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

क्रमांक :– एफ 9 (5) (12–1)/सा. न्या. अ. वि./08–09/5496 *दिनांक : 01.04.2013*

राजस्थान सामाजिक सुरक्षा विशेष योग्यजन पेंशननियम, 2013

राजस्थान राज्य के विशेष योग्यजनों को सामजिक सुरक्षा पेंशन की स्वीकृति एवं उसके भुगतान हेतु महामहिम राज्यपाल महोदया की आज्ञा से निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. (i) इन नियमों का नाम **''राजस्थान सामाजिक सुरक्षा विशेष योग्यजनपेंशन नियम, 2013''** है।

   (ii) ये नियम दिनांक 1 अप्रेल, 2013 से लागू होंगे।

2. यह नियम ''राजस्थान विशेष योग्यजनपेंशन नियम 1965'' को अतिष्ठित करते है।

   पेंशन स्वीकृति के इस आदेश के जारी होने की तिथि को विचाराधीन लंबित आवेदन–पत्रों पर इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

   परन्तु इन नियमों में अन्तर्विष्ट अन्य किसी बात के होते हुए भी इन नियमों के प्रभावी होने की तिथि से पूर्व जिन व्यक्तियों को **''राजस्थान विशेष योग्यजननियम, 1965''** के अंतर्गत पेंशन स्वीकृत की जा चुकी हैं अथवा पेंशन का भुगतान किया जा रहा है, ऐसे व्यक्ति उपुर्यक्त नियमों के अन्तर्गत पात्रता रखने की तिथि तक पेंशन प्राप्त करते रहेंगे।

अध्याय –1

3. परिभाषाएं :–

(i) **सामाजिक सुरक्षा विशेष योग्यजन पेंशन** से अभिप्रेत है, विशेष योग्यजन पेंशन जो इन नियमों के अधीन किसी विशेष योग्यजन को स्वीकृत की जायें।

(ii) **''मूल निवासी''** से अभिप्रेत है जो राजस्थान का मूल निवासी हो एवं राजस्थान में निवास कर रहा हो।

(iii) **''आय''** से अभिप्रेत है, विशेष योग्यजन पेंशन प्रार्थी की स्वयं एवं परिवार की सम्मिलित वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में रु. 48000/– तक एवं शहरी क्षेत्र में रु. 60000/– तक हो। परिवार की परिभाषा में निम्नांकित सदस्य सम्मिलित होंगे :–

1. 18 वर्ष से कम आयु के विशेष योग्यजन के मामले में पिता एवं माता।

2. 18 वर्ष व अधिक आयु के विशेष योग्यजन के मामले में पति/पत्नी।

(iv) **''पेंशन राशि''** से अभिप्रेत सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत् स्वीकृत मासिक भुगतान राशि से हैं जो निम्नानुसार है –

(1) 8 वर्ष से कम आयु के विशेष योग्यजन पेंशनर को रु. 250/– प्रतिमाह

(2) 8 वर्ष व अधिक किन्तु 75 वर्ष से कम आयु के विशेष योग्यजन पेंशनर को रु. 500/– प्रतिमाह।

(3) 75 वर्ष व 75 वर्ष से अधिक आयु के विशेष योग्यजन पेंशनर को रु. 750/– प्रतिमाह परन्तु यदि प्रार्थी राजस्थान सरकार/केन्द्र सरकार/ अन्य राज्य सरकार / स्थानीय निधि या किसी कानूनी निकाय, निगम, प्राइवेट निका/संस्था या अन्य स्त्रोत से पेंशन, निर्वाह भत्ता या अन्य कोई लाभ प्राप्त कर रहा हो तो वह उक्त वर्णित पेंशन या लाभ में से जो भी लाभदायक हो, पाने का अधिकारी होगा।

(v) **''जांच अधिकारी''** ग्रामीण क्षेत्र के आवेदनों के लिए, संबंधित तहसीलदार/अति. तहसीलदार/नायब तहसीलदार तथा शहरी क्षेत्र के आवेदनों के लिए, संबंधित नगर निकाय मे पदस्थापित मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, जांच अधिकारी होंगे।

(vi) ''स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी'' ग्रामीण क्षेत्र के आवेदकों के आय प्रमाण पत्र जारी करने तथा आवेदनों की स्वीकृति प्रदान करने हेतु सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में समिति गठित होगी, जिसमें संबंधित पंचायत समिति का विकास अधिकारी एवं जनप्रति – निधि के रूप में प्रधान /उपप्रधान, संबंधित पंचायत समिति सदस्य होंगे।

शहरी क्षेत्र के आवेदकों के आय प्रमाण पत्र जारी करने तथा आवेदनों की स्वीकृति प्रदान करने हेतु सम्बन्धित उप खण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में समिति गठित होगी, जिसमें संबंधित नगर निकाय में पदस्थापित मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी एवं संबंधित नगर निकाय के जनप्रतिनिधि के रूप में महापौर/उप महापौर/सभापति/उप सभापति/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं संबंधित वार्ड के निर्वाचित प्रति निधि सदस्य होंगे।

(vii) ग्रामीण क्षेत्र के आवेदनों की स्वीकृति के लिए स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी समिति निम्नानुसार

होगी :–

1. उपखण्ड अधिकारी/उप खण्ड मजिस्ट्रेट – अध्यक्ष

2. संबंधित विकास अधिकारी – सदस्य

3. प्रधान/उप प्रधान/संबंधित क्षेत्र का पंचायत समिति सदस्य – सदस्य।

(viii) शहरी क्षेत्र के आवेदनों की स्वीकृति के लिए स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी समिति निम्नानुसार होगी :–

1. उप खण्ड अधिकारी/उप खण्ड मजिस्ट्रेट – अध्यक्ष

2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी संबंधित नगर निकाय–सदस्य

3. महापौर/उप महापौर/सभापति/उप सभापति/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/वार्ड पार्षद – सदस्य

(ix) **''पेंशन आहरण एवं वितरण अधिकारी''** से संबंधित कोष/उप कोष कार्यालय के कोषाधिकारी (पेंशन भुगतान अधिकारी)/ उप कोषाधिकारी (सहायक पेंशन भुगतान अधिकारी)/अभिप्रेत है।

(x) **''जिला पेंशन स्वीकृति एवं वितरण अधिकारी''** से संबंधित जिले का जिला कलेक्टर अभिप्रेत है।

अध्याय –2

विशेष योग्यजन को सामाजिक सुरक्षा पेंशन

3. पात्रता :

(i) किसी भी आयु का विशेष योग्यजन व्यक्ति जो अन्धता, अल्प दृष्टि, चलन निःशक्तता, कुष्ठ रोग मुक्त, श्रवण शक्ति का ह्रास, मानसिक रोगी में से किसी एक अथवा अधिक विकलांगता (40 प्रतिशत एवं अधिक विकलांगता) से ग्रसित हो, जो राजस्थान का मूल निवासी हो और राजस्थान में रह रहा हो, एवं –

1. जिसकी स्वयं एवं परिवार की सम्मिलित वार्षिक आय (समस्त स्त्रोतों से) ग्रामीण क्षेत्र में रुपये 48000 तक एवं शहरी क्षेत्र में 60000 तक हो या

2. वह किसी ऐसे परिवार का सदस्य हो जिसका चयन, ग्रामीण विकास विभाग या

नगरीय शासन विभाग के अधीन किए गए सर्वेक्षण में, गरीबी की रेखा की सीमा से नीचे के परिवार केन्द्रीय बी.पी.एल./राज्य बी.पी.एल. में या अन्त्योदय परिवार में किया गया है, या वह आस्था कार्ड धारी परिवार का सदस्य है या वह सहरिया / कथौड़ी/खैरवा जाति का हो, पेंशन का पात्र होगा।

अध्याय –3

विशेष योग्यजन पेंशन हेतु आवेदन, स्वीकृति, सत्यापन, अपील एवं निरीक्षण की प्रक्रिया

5. आवेदन देने एवं पेंशन स्वीकार करने की प्रक्रिया :

(i) ग्रामीण क्षेत्र का आवेदक, जिस तहसील/उप तहसील में निवास कर रहा है, उस तहसील/उप तहसील के तहसीलदार/नायब तहसीलदार या विकास अधिकारी (पंचायत समिति) को तथा शहरी क्षेत्र के आवेदक सम्बन्धित नगर निकाय के मुख्य कार्यकारी अधिकारी /आयुक्त/ अधिशाषी अधिकारी या उपखण्ड अधिकारी के समक्ष, प्रारूप एस. एस.पी. – I में पेंशन के लिये पूर्ण रूप से भरा हुआ, सभी आवश्यक प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रतिलिपियों सहित, आवेदन–पत्र प्रस्तुत करेगा। सम्बन्धित कार्यालय द्वारा आवेदन प्राप्त करने के उपरान्त आवेदक को रसीद दी जायेगी। आवेदन–पत्र निम्नांकित कार्यालयों से निःशुल्क प्राप्त किये जा सकेंगे :–

- तहसील/उप तहसील/उपखण्ड कार्यालय
- ग्राम पंचायत, पंचायत समिति
- नगरपालिका, नगर परिषद् नगर निगम
- कोषागार/उपकोषागार
- जिला कलेक्टर कार्यालय

यदि मुद्रित आवेदन–पत्र उपलब्ध नहीं हो तो, आवेदन–पत्र सादा कागज पर भी प्रस्तुत किया जा सकेगा या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की वैब साईट www.sje.rajasthan.gov.in से या राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन की वेबसाइट www.rajssp.raj.nic.in से डाउनलोड किया जा सकेगा।

(ii) विहित प्रारूप में आवेदन–पत्र प्राप्त होने पर, जांच अधिकारी उसकी प्रविष्टि रजिस्टर एस. एस.पी. II में कराने की व्यवस्था करेगा। नए आवेदन–पत्र दर्ज करने से पूर्व यह सुनिश्चित

कर लिया जायेगा कि उसने पूर्व में पेंशन के लिए कोई आवेदन नहीं किया था और न ही उसका कोई आवेदन–पत्र अस्वीकार ही किया गया था। अस्वीकृत आवेदन–पत्रों के लिए अलग से एक सहायक पंजिका भी संधारित की जाएगी।

(iii) उसके बाद जांच अधिकारी उक्त आवेदन–पत्र की संवीक्षा करेगा और आवेदक की जन्म तिथि, आयु अधिवास, निवास स्थान और आय या आजीविका के स्त्रोत की जांच करेगा। इन नियमों में यथा परिभाषित उसके परिवार के सदस्यों के विस्तृत ब्योरों का सत्यापन करेगा। यह जन्म तिथि/आयु की जांच निम्नलिखित दस्तावेजों से, नीचे दिये गए अधिमान क्रम से करेगा :–

(क) स्कूल प्रमाण पत्र

(ख) नगरपालिका बोर्ड/नगर परिषद/ नगर निगम, पंचायतों द्वारा संघारित जन्म रजिटर/ जन्म प्रमाण–पत्र या

(ग) लोकसभा/विधानसभा/नगर निकाय की नवीनतम मतदाता नामावली, जिसमें आवेदक का नाम हो,

या

उपखण्ड अधिकारी या तहसीलदार द्वारा दिया गया आयु प्रमाण पत्र जो उसके समक्ष पेंशनर के लिखित कथन प्राप्त होने पर तथा उस पर दो गवाहों, का समर्थन प्राप्त करके और ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह उचित समझे दिया गया हो,

(घ) ग्रामीण क्षेत्र के लिए ब्लॉक उपमुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा शहरी क्षेत्र के लिए मेडिकल ज्यूरिष्ट द्वारा दिया गया आयु प्रमाण–पत्र।

(ड) मात्र आयु का उल्लेख होने पर जन्म तिथि निर्धारण की प्रक्रिया – जिन प्रकरणों में सिर्फ आयु का उल्लेख हो ऐसे प्रत्येक पेंशनर की जन्म तिथि का निर्धारण निम्नांकित प्रक्रिया द्वारा किया जायेगा :–

(अ) पेंशनर्स की आयु अथवा जन्मतिथि का सत्यापन नियम – 5 (iii) में उल्लेखित अभिलेखों यथा – विद्यालय प्रमाणपत्र, नगर पालिका/नगर निगम / नगर परिषद्/ ग्राम पंचायत में संधारित जन्म पंजिका, मतदाता सूची, मतदाता पहचान पत्र राशनकार्ड, यूनिक आईडी, उपखण्ड अधिकारी या तहसीलदार/नायब तहसीलदार द्वारा दिये गये आयु प्रमाणपत्र, ग्रामीण क्षेत्र

के लिए सरकारी अस्पताल के मेडिकल ब्लॉक उपमुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा शहरी क्षेत्र के लिए मेडिकल ज्यूरिष्ट द्वारा दिये गये आयु प्रमाण–पत्र के आधार पर किया जा सकता है।

(ब) ऐसे आवेदक जिनकी जन्मतिथि का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है, ऐसे प्रकरणों में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर आयु का निर्धारण किया जा सकता है। यदि एक से अधिक अभिलेख उपलब्ध हों तो इन अभिलेखों में से जिस अभिलेख में अधिक आयु दर्शाई गई हो, को आयु माना जाये एवं यह निर्धारित आयु उस वर्ष की 30 जून को मानी जाये। तद्नुसार उसकी जन्मतिथि उस वर्ष की 1, जुलाई को माना जाये।

(iv) जांच अधिकारी द्वारा सत्यापन का परिणाम और उस मामले में विचार करने के लिए कोई अन्य विशिष्ट सूचना, आवेदन–पत्र के प्रारूप एस.एस.पी. I के भाग II में अभिलिखित की जायेगी

(v) सत्यापन आवश्यक रूप से आवेदन–पत्र की प्राप्ति के अधिकतम 30 दिवस की कालावधि के भीतर पूरा किया जाना आवश्यक होगा, अन्यथा सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी का राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारण्टी अधिनियम–2011 के तहत निर्धारित जुर्माना राशि अदा करने का उत्तरदायित्व होगा।

(vi) जांच अधिकारी आवेदन पत्रों की जांच एवं सत्यापन का कार्य पूर्ण करने के पश्चात् मूल प्रारूप एस.एस.पी. I को अपनी सिफारिशों के साथ स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी (सम्बन्धित विकास अधिकारी/उपखण्ड अधिकारी) के पास स्वीकृति आदेशों के लिये ऑनलाइन भेजेगा।

(vii) स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी प्रत्येक मामले पर सावधानी पूर्वक विचार करने के पश्चात् या तो प्रारूप एस.एस.पी. I के भाग III में पेंशन की स्वीकृति या दावे की अस्वीकृति संबंधी आदेश, पारित करेगा एवं उसे ऑनलाइन भेजेगा। पेंशन स्वीकृत होने पर पेंशन की स्वीकृति के आदेश प्रारूप एस.एस.पी. III सम्बन्धित कोषाधिकारी के नाम जारी करेगा। साथ ही स्वीकृति आदेश में यह भी प्रमाणित करेगा कि स्वीकृति में दिये गये तथ्यों की भली भांति जांच कर ली गई है तथा आवेदक स्वयं मेरे समक्ष उपस्थित हुआ/हुई, जिसका फोटो से मिलान कर लिया गया है, जो सही है। इसकी दो हार्ड कॉपी (जिन पर पेंशनर की प्राणित फोटो लगी हो) सम्बन्धित कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी को भेजी जायेगी तथा पेंशनर व्यक्ति एवं सम्बन्धित जांच अधिकारी को इसकी एक प्रति पृष्ठांकित करेगा। पेंशन

अस्वीकृत होने की स्थिति में इसकी सूचना स्वीकृतकर्ता अधिकारी के कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जायेगी तथा आवेदक को भी सूचित किया जायेगा। यह कार्य 15 दिवस की अवधि में आवश्यक रूप से पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा। अन्यथा सम्बन्धित अधिकारी कर्मचारी का राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारण्टी अधिनियम 2011 के तहत निर्धारित जुर्माना राशि अदा करने का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा।

(viii) स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी दो रजिस्टार रखेगा, अर्थात :–

(क) स्वीकार किये गये सामाजिक सुरक्षा पेंशन आवेदनों का रजिस्टर

(ख) अस्वीकार किये गये सामाजिक सुरक्षा पेंशन आवेदनों का रजिस्टर – रजिस्टर में की गई प्रविष्टियां स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित की जाएगी।

(ix) पेंशन स्वीकृति आदेश को ही पेंशन भुगतान आदेश माना जायेगा। पेंशन स्वीकृति आदेश प्राप्त होने पर कोषाधिकारी/ उपकोषाधिकारी द्वारा पेंशन स्वीकृति आदेश पर कोषालय/उपकोषालय में दर्ज होने की क्रम संख्या अंकित कर हस्ताक्षर किए जायेंगे तथा प्रारूप IV में पेंशन भुगतान का आदेश जारी कर पेंशन भुगतान की कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी। पेंशन भुगतान की कार्यवाही राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारन्टी अधिनियम–2011 में वर्णित निर्धारित समय सीमा में की जायेगी अन्यथा सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी का अधिनियम के तहत निर्धारित जुर्माना राशि अदा करने का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा।

6. पेंशन स्वीकृति :–

(i) किसी व्यक्ति को इन नियमों के अधीन पेंशन गुणावगुण के आधार पर देय होगी। जिन प्रकरणों में स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी किसी आवेदन पत्र को पेंशन स्वीकृति हेतु उचित नहीं मानता है, उसमें अस्वीकृति का कारण अभिलिखित करते हुए आवेदन अस्वीकृत करना होगा तथा जिन प्रकरणो में स्वीकृति पेंशन को रोकने का निर्णय लिया जाता है, उसमें भी संबंधित व्यक्ति को कारण सहित सूचित करना होगा।

(ii) सरकार आपवादिक परिस्थितियों में किसी व्यक्ति को इन नियमों के अधीन, विहित शर्तों को शिथिल करते हुए सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्वीकृत कर सकेगी।

7. पेंशन की वैधता :–

(i) बी.पी.एल. सूची में सूचीबद्ध रहने तक या

(ii) वार्षिक आय निर्धारित सीता में रहने तक।

8. पेंशन का प्रारम्भ :– पेंशन सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति जारी किए जाने के माह की प्रथम तारीख से संदेय होगी।

9. पेंशन की समाप्ति :–

(i) पेंशन, पेंशनर की मृत्यु की तारीख को समाप्त हो जाएगी। मृत्यु की तारीख तक देय पेंशन की अनाहरित रकम व्यपगत हो जाएगी।

(ii) पेंशनर के राजस्थान के बाहर स्थाई या अस्थाई रूप से प्रवास की दशा में पेंशन साधारणतः समाप्त हो जाएगी। तथापि, कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी द्वारा जैसी भी स्थिति हो, पेंशनर के राजस्थान लौटने पर उसके समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की तारीख से पेंशन का पुनः संदाय प्रारम्भ किया जा सकेगा लेकिन उसके राजस्थान से बाहर रहने की कालावधि के लिए प्रोद्भुत पेंशन की बकाया संदेय नहीं होगी।

10. पेंशन की बकाया का संदाय :–

(क) यदि पेंशन की रकम एक वर्ष या इससे अधिक की कालावधि तक आहरित नहीं की जाती है तो काई बकाया संदेय नहीं होगा। तथापि, ऐसे मामलों में सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी पेंशन संदाय आदेश को नवीनीकृत करने के लिये सक्षम होगा।

(ख) ऐसे मामलों में जहां पेंशन रकम एक वर्ष से कम की कालावधि तक आहरित नहीं की जाती है वहां नियम 9 के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, निम्नलिखित प्राधिकारी बकाया के संदायक आदेश पारित करने के लिये सक्षम होंगे :–

(1)	यदि पेंशन की रकम 5 मास तक आहरित नहीं की जाये।	सम्बन्धित आरहण एवं वितरण अधिकारी
(2)	यदि पेंशन की रकम 5 मास से अधिक किन्तु 1 वर्ष से कम की कालावधि तक आहरित नहीं की जाये।	सम्बन्धित जिले का कलक्टर

11. अपील अधिकारी :– स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी के पेंशन का दावा अस्वीकार करने संबंधी आदेश के विरूद्ध अपील जिला कलक्टर को की जाएगी। अपील स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी

द्वारा दिए गए आदेश के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित होने की तिथि से दो माह के भीतर की जानी चाहिए। तथापि, राज्य सरकार का सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग कलक्टर द्वारा पारित आदेश को गुणावगुण के आधार पर कारण अंकित करते हुए पुनर्विलोकित कर सकेगा।

12. **वार्षिक सत्यापन :–** ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले पेंशनरों का प्रत्येक वर्ष मार्च माह में ग्राम सचिवालय के तहत आयोजित होने वाले कैम्पों में सरपंच एवं पटवारी पंचायतवार/ग्रामवार भौतिक सत्यापन कर हस्ताक्षरयुक्त जीवन प्रमाण पत्र सूची के रूप में तैयार कर विकास अधिकारी के माध्यम से संबंधित कोषाधिकारी/उप–कोषाधिकारी को भिजवायेंगे। पेंशनर उसके निवास क्षेत्र के पटवारी और सरपंच द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित जीवन प्रमाण पत्र या राजपत्रित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित जीवन प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत कर सकेंगे। शहरी क्षेत्र में रहने वाला पेंशनर उसके निवास क्षेत्र की नगर पालिका/नगर परिषद/नगर निगम में पदस्थापित अधिशाषी अधिकारी/ आयुक्त/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी या राजपत्रित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित जीवन प्रमाण–पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे। परन्तु पेंशनर के जीवन प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति, पेंशनर की मृत्यु या अन्य किसी घटना की सूचना जो नियमों के अधीन सामाजिक सुरक्षा पेंशन के संदाय के हक से उसे वंचित करती हो, देने के लिए उत्तरदायी होगा। सन्देह की स्थिति में पेंशन भुगतान अधिकारी पेंशनर को स्वयं देखेगा, उसके/उसकी फोटो से मिलान करेगा तथा उसके पेंशन संदाय आदेश में बतलाये गये पहचान चिन्हों के संदर्भ में अपनी संतुष्टि करेगा। उप खण्ड अधिकारी/विकास अधिकारी द्वारा संधारित किए जाने वाले रजिस्टर एस.एस.पी. V में भौतिक सत्यापन का तथ्य अंकित किया जाएगा।

13. **पेंशन की मृत्यु की सूचना :–** पेंशनर की मृत्यु हो जाने की स्थिति में पटवारी/ ग्राम पंचायत/नगर निकाय प्राधिकारी, अथवा पोस्ट ऑफिस/बैंक सम्बन्धित कोषाधिकारी/उप–कोषाधिकारी को रिपोर्ट भेजेगा, जिसमें पेंशनर का नाम, पता, मृत्यु की दिनांक आदि की सूचना प्राप्त होने पर उप–कोषाधिकारी/कोषाधिकारी पंजिका एस.एस.पी. संख्या V में लाल स्याही से प्रविष्टि करेगा कि ''श्री/श्रीमती ..... पिता/पति श्री ... . की तारीख .....को मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई है। उक्त सूचना के आधार पर भुगतान बन्द किया गया।'' उप–कोषाधिकारी/कोषाधिकारी पेंशन बन्द करने के प्रत्येक मामले की सूचना कोषाधिकारी और स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी को भेजेगा।

14. कलेक्टर और कोषाधिकारी द्वारा निरीक्षण :–

(i) जिला कोषागार का निरीक्षण करते समय जिला कलेक्टर (जिला पेंशन एवं संवितरण अधिकारी) सामाजिक सुरक्षा पेंशन रजिस्टरों का वार्षिक निरीक्षण तथा पेंशन भुगतान की नमूना जांच करेगा।

(ii) उप–कोषागार का निरीक्षण करते समय कोषाधिकारी सामाजिक सुरक्षा पेंशन रजिस्टरों का वार्षिक निरीक्षण करेगा और अपने आपका समाधान करेगा कि उसके द्वारा स्वीकृत किये गये सभी मामले उप–कोषागार के रजिस्टरों में प्रविष्ट कर दिए गए है और भुगतान नियमित रूप से व यथा समय किए जाते है। वह अपने आपका इससे भी समाधान करेगा कि उप–कोषागार के रजिस्टरों में सुधार संबंधी प्रविष्टियां जैसे पेंशन प्राप्तकर्ता की मृत्यु या उसके पते में परिवर्तन, अविलम्ब की जाती है। निरीक्षण के समय पेंशन भुगतान की नमूना जांच भी करनी होगी।

15. सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्वीकार करने पर वर्जन (रोक) :– उन व्यक्तियों को जिनको कि इन नियमों के अधीन सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्वीकृत की गई है, राज्य की संचित निधि में से जैसे देवस्थान निधि, मंत्रियों आदि के स्वविवेकाधीन रखे गये अनुदान से, किसी प्रकार की पेंशन या निर्वाह भत्ता या अन्य किसी प्रकार की वित्तीय सहायता स्वीकृत नहीं की जाएगी। तथापि, इन नियमों के द्वारा शासित होने वाले व्यक्ति यदि देवस्थान निधि या अन्य स्त्रोत से पहले से ही पेंशन प्राप्त कर रहे हों, तो वे उन्हें पूर्ववत् प्राप्त करते रहेंगे।

अध्याय –4

सामाजिक सुरक्षा विशेष योग्यजन पेंशन भुगतान की प्रक्रिया

16. (i) कोषाधिकारी और उप–कोषाधिकारी पेंशन का भुगतान करने वाले प्राधिकारी होंगे।

(ii) कोषाधिकारी या उप–कोषाधिकारी द्वारा यथा स्थिति पेंशनर को पेंशन, मनीऑर्डर द्वारा या बैंक/पोस्ट ऑफिस बचत खाते/ सरकार द्वारा विहित अन्य किसी उपयुक्त माध्यम से भेजी जायेगी। मनीऑर्डर का कमीशन पेंशन की रकम में से नहीं काटा जाएगा।

(iii) पेंशन, सम्बन्धित माह के समाप्त हो जाने के पश्चात् देय होगी। मनीऑर्डर से पेंशन भुगतान के मामलों में मनीऑर्डर रसीद यथा संभव प्राप्त कर रखी जायेगी। मनीऑर्डर लौट आने पर पेंशन का भुगतान पेंशनर के व्यक्तिगत रूप से सम्बन्धित कोषाधिकारी / उप कोषाधिकारी के समक्ष उपस्थित होने पर किया जा सकेगा।

(iv) यदि पेंशनर पेंशन का भुगतान व्यक्तिगत चाहे तो किया जायेगा। अगर पेंशनर शारीरिक व मानसिक परिस्थितिवश पेंशन स्वयं प्राप्त करने में असमर्थ है तो पेंशन का भुगतान उसके संरक्षक को किया जायेगा। संरक्षक की नियुक्ति सम्बन्धित जिला कलेक्टर करेंगे। संरक्षक की नियुक्ति के लिये पेंशनर को प्रार्थना पत्र पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी के माध्यम से जिला कलेक्टर को देना होगा। पेंशन स्वीकृति से पूर्व उस अभिभावक द्वारा निहत प्रपत्र एस.एसपी. IX में एक बंध–पत्र निष्पादित किया जाएगा कि वह आवेदक का भरण–पोषण करता रहेगा। पेंशन की स्वीकृति के पूर्व संरक्षक को निम्नलिखित इकरारनामा भरकर देना होगा :–

''मैं (नाम) ..... पुत्र ..... निवासी ..... जिला ..... स्वीकार करता हूं कि ..... (नाम पेंशन पाने वाले का) को जो राज्य सरकार से पेंशन स्वीकृत हैं, मैं उसका पालन पोषण करूंगा।''

दिनांक .....

हस्ताक्षर संरक्षक

परन्तु मानसिक मंदता से ग्रसित व्यक्ति को पेंशन का भुगतान राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु–निःशक्तता व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम, 1999 (नेशनल ट्रस्ट एक्ट) के अन्तर्गत नियुक्त अभिभावक को ही देय होगा।

(v) पेंशन राशि का भुगतान कोषाधिकारी और उप–कोषाधिकारी यथा सम्भव प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह तक करेंगे।

(vi) यदि पेंशनर निरक्षर हो तो किसी साक्षर साक्षी की उपस्थिति में जो मनीऑर्डर रसीद पर उसके हस्ताक्षरों को, प्रमाणित करेगा, मनीऑर्डर की रसीद पर पेंशनर के अंगूठे के निशान लगवाए जाएंगे।

(vii) पेंशन के संदाय, लेखा आदि (हिसाब–किताब) के रखे जाने के बारे में विस्तृत अनुदेश इन नियमों के परिशिष्ट 'क' में अन्तर्विष्ट है।

राज्यपाल की आज्ञा से

(अदिति मेहता)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

क्रमांक :– एफ 9 (5) (12–1)/सा. न्या. अ. वि./08–09/5605 *दिनांक : 04.04.2013*

आदेश

राजस्थान सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था, विधवा, परित्यक्ता एवं तलाकशुदा पेंशन नियम 2013 के अंतर्गत अध्याय–1 नियम 2 (vii) के नीचे निम्न प्रावधान जोड़ा जाता है :–

आवेदनों की स्वीकृति के लिए स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी समिति के कार्यवाही विवरण पर अध्यक्ष एवं सभी सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे। ग्रामीण क्षेत्र के आवेदकों के लिए संबंधित विकास अधिकारी पेंशन स्वीकृति आदेश पर हस्ताक्षर करेंगे। पेंशन स्वीकृति संबंधित समस्त रिकॉर्ड संधारण विकास अधिकारी द्वारा किया जावेगा।

उक्त नियम के अध्याय–1 नियम 2 (viii) के नीचे निम्न प्रावधान जोड़ा जाता है :–

आवेदनों की स्वीकृति के लिए स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी समिति के कार्यवाही विवरण पर कमेटी के अध्यक्ष एवं सभी सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे शहरी क्षेत्र के आवेदकों के लिए संबंधित उप खण्ड अधिकारी पेंशन स्वीकृति आदेश पर हस्ताक्षर करेंगे। पेंशन स्वीकृति संबंधित समस्त रिकॉर्ड संधारण उप खण्ड अधिकारी द्वारा किया जावेगा।

उक्त नियम के अध्याय–4 के नियम 5 (i) का प्रथम अनुच्छेद – ''ग्रामीण क्षेत्र का आवेदक ..... आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा'' को विलोपित कर उसके स्थान पर निम्नानुसार प्रावधान किया जाता है :–

उक्त नियम के अध्याय–4 के नियम 5 (ix) की चतुर्थ लाईन ''प्रारूप IV में पेंशन भुगतान का आदेश जारी कर को विलोपित किया जाता है।

उक्त नियम के अध्याय–4 के नियम 12 को विलोपित कर इसके स्थान पर निम्न प्रावधान प्रतिस्थापित किया जाता है :–

वार्षिक सत्यापन – ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले पेंशनरों का प्रत्येक वर्ष मार्च माह में ग्राम सचिवालय व्यवस्था के तहत आयोजित होने वाले केम्पों में सरपंच एवं पटवारी पंचायतवार/भौतिक सत्यापन कर हस्ताक्षरयुक्त जीवन प्रमाण के साथ विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा के मामलों में पुर्नविवाह

न होने या बी.पी.एल. सूची में सूचीबद्ध रहने या जीवन निर्वाह हेतु स्वयं की नियमित आय नहीं होने तक का प्रमाण सूची के रूप में विकास अधिकारी के माध्यम से संबंधित कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी को भिजवायेंगे। पेंशनर उसके निवास क्षेत्र में पटवारी और सरपंच द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित जीवन प्रमाण पत्र या राजपत्रित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित जीवन प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत कर सकेंगे। शहरी क्षेत्र में रहने वाला पेंशनर उसके निवास क्षेत्र की नगर पालिका/नगर परिषद/नगर निगम में पदस्थापित अधिशाषी अधिकारी/आयुक्त/मुख्य कार्यकारी अधिकारी या राजपत्रित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित जीवन प्रमाण पत्र विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा के मामलों में पुर्नविवाह न होने या बी.पी.एल. सूची में सूचीबद्ध रहने या जीवन निर्वाह हेतु स्वयं की नियमित आय नहीं होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे। परन्तु पेंशनर के जीवन प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति पेंशनर की मृत्यु या अन्य किसी घटना की सूचना जो नियमों के अधीन सामाजिक सुरक्षा पेंशन के संदाय के हक से उसे वंचित करती हो, देने के लिए उत्तरदायी होगा। संदेह की स्थिति में पेंशन भुगतान अधिकारी पेंशनर को स्वयं देखेगा, उसके/उसकी फोटो से मिलान करेगा तथा उसके पेंशन संदाय आदेश में बतलाये गये पहचान चिन्हों के संदर्भ में अपनी संतुष्टि करेगा। उप खण्ड अधिकारी / विकास अधिकारी द्वारा संघारित किये जाने वाले रजिस्टर एस.एस.पी. V में भौतिक सत्यापन का तथ्य अंकित किया जावेगा।

यह आदेश तुरन्त प्रभावशील होंगे।

आयुक्त एवं शासन सचिव

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

क्रमांक :– एफ 9 (5) (12–1)/सा. न्या. अ. वि./08–09/5604 *दिनांक : 04.04.2013*

आदेश

राजस्थान सामाजिक सुरक्षा विशेष योग्यजन पेंशन नियम 2013 के अंतर्गत अध्याय–1 नियम 3 (iii) के क्रम में आय प्रमाण–पत्र राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 9.8.2012 द्वारा निर्धारित प्रारूप में तहसीलदार/नोटेरी द्वारा प्रमाणित मान्य होगा।

उक्त नियम के अध्याय –1 नियम 3 (vii) के नीचे निम्न प्रावधान जोड़ा जाता है :–

आवेदनों की स्वीकृति के लिए स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी समिति के कार्यवाही विवरण पर अध्यक्ष एवं सभी सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे। ग्रामीण क्षेत्र के आवेदकों के लिए संबंधित विकास अधिकारी पेंशन स्वीकृति आदेश पर हस्ताक्षर करेंगे। पेंशन स्वीकृति संबंधित समस्त रिकॉर्ड संधारण विकास अधिकारी द्वारा किया जावेगा।

उक्त नियम के अध्याय–1 नियम 3 (viii) के नीचे निम्न प्रावधान जोड़ा जाता है :–

आवेदनों की स्वीकृति के लिए स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी समिति के कार्यवाही विवरण पर कमेटी के अध्यक्ष एवं सभी सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे शहरी क्षेत्र के आवेदकों के लिए संबंधित उप खण्ड अधिकारी पेंशन स्वीकृति आदेश पर हस्ताक्षर करेंगे। पेंशन स्वीकृति संबंधित समस्त रिकॉर्ड संधारण उप खण्ड अधिकारी द्वारा किया जावेगा।

उक्त नियम के अध्याय–3 के नियम 9 में (ii) के नीचे निम्नानुसार जोड़ा जाता है :– (iii) पेंशनर की वार्षिक आय नियमों में निर्धारित सीमा से अधिक होने पर समाप्त हो जावेगी।

उक्त नियम के अध्याय–3 के नियम 5 (i) का प्रथम अनुच्छेद – ''ग्रामीण क्षेत्र का आवेदक .... आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा'' को विलोपित कर उसके स्थान पर निम्नानुसार प्रावधान किया जाता है:–

''ग्रामीण क्षेत्र का आवेदक, जिस पंचायत समिति में निवास कर रहा है उस पंचायत समिति के विकास अधिकारी को तथा शहरी क्षेत्र के आवेदक संबंधित उपखण्ड अधिकारी के समक्ष, प्रारूप एस.एस.पी.–I में पेंशन के लिये पूर्ण रूप से भरा हुआ, सभी आवश्यक प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रतिलिपियों सहित, आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा।''

उक्त नियम के अध्याय–3 के नियम 5 (ix) की चतुर्थ लाईन ''प्रारूप IV में पेंशन भुगतान का आदेश जारी कर को विलोपित किया जाता है।

उक्त नियम के अध्याय–3 के नियम 12 को विलोपित कर इसके स्थान पर निम्न प्रावधान प्रतिस्थापित किया जाता है :–

वार्षिक सत्यापन – ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले पेंशनरों का प्रत्येक वर्ष मार्च माह में ग्राम सचिवालय व्यवस्था के तहत आयोजित होने वाले केम्पों में सरपंच एवं पटवारी पंचायतवार/ भौतिक सत्यापन कर हस्ताक्षरयुक्त जीवन प्रमाण के साथ विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा के मामलों में पुर्नविवाह न होने या बी.पी.एल. सूची में सूचीबद्ध रहने या जीवन निर्वाह हेतु स्वयं की नियमित आय नहीं होने तक का प्रमाण सूची के रूप में विकास अधिकारी के माध्यम से संबंधित कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी को भिजवायेंगे। पेंशनर उसके निवास क्षेत्र में पटवारी और सरपंच द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित जीवन प्रमाण पत्र या राजपत्रित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित जीवन प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत कर सकेंगे। शहरी क्षेत्र में रहने वाला पेंशनर उसके निवास क्षेत्र की नगर पालिका/नगर परिषद/नगर निगम में पदस्थापित अधिशाषी अधिकारी/आयुक्त/मुख्य कार्यकारी अधिकारी या राजपत्रित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित जीवन प्रमाण पत्र विधवा/परित्यक्ता/ तलाकशुदा के मामलों में पुर्नविवाह न होने या बी.पी.एल. सूची में सूचीबद्ध रहने या जीवन निर्वाह हेतु स्वयं की नियमित आय नहीं होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे। परन्तु पेंशनर के जीवन प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति पेंशनर की मृत्यु या अन्य किसी घटना की सूचना जो नियमों के अधीन सामाजिक सुरक्षा पेंशन के संदाय के हक से उसे वंचित करती हो, देने के लिए उत्तरदायी होगा। संदेह की स्थिति में पेंशन भुगतान अधिकारी पेंशनर को स्वयं देखेगा, उसके/उसकी फोटो से मिलान करेगा तथा उसके पेंशन संदाय आदेश में बतलाये गये पहचान चिन्हों के संदर्भ में अपनी संतुष्टि करेगा। उप खण्ड अधिकारी/विकास अधिकारी द्वारा संघारित किये जाने वाले रजिस्टर एस.एस.पी. V में भौतिक सत्यापन का तथ्य अंकित किया जावेगा।

यह आदेश तुरन्त प्रभावशील होंगे।

आयुक्त एवं शासन सचिव

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

क्रमांक :– एफ 9(05) (12–1)/सान्याअवि./2013–14/2969 *दिनांक : 15.04.2013*

आदेश

राजस्थान सामाजिक सुरक्षा विशेष योग्यजन पेंशन नियम 2013 के अंतर्गत निम्नानुसार संशोधित/प्रतिस्थापित किया जाता है :–

अध्याय–1 नियम 3 का उपनियम

(iii) **''आय''** से अभिप्रेत है, कि विशेष योग्यजन पेंशन प्रार्थी की समस्त स्त्रोतों से कुल वार्षिक आय रूपये 60000/– से कम हो।

आय प्रमाण पत्र राजस्व विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप एवं प्रक्रियानुसार स्वयं द्वारा प्रस्तुत आय की उद्घोषणा, जो कि तहसीलदार / नोटरी पब्लिक द्वारा प्रमाणीकृत हो, प्रमाण–पत्र मान्य होगा।''

अध्याय : 2 के नियम 4 – पात्रता के उपनियम (i) **को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :–**

"(i) किसी भी आयु का विशेष योग्यजन जो अन्धता, अल्प दृष्टि, चलन निःशक्तता, कुष्ठ रोग मुक्त, श्रवण शक्ति का ह्रास मानसिक मंदता, मानसिक रोबी में से किसी एक अथवा अधिक विकलांगता (40 प्रतिशत एवं अधिक विकलांगता) प्राकृतिक रूप से बौनेपन (व्यस्क व्यक्ति के मामले में उसकी ऊँचाई 3 फीट 6 इंच से कम हो एवं प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी के द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र धारक हो) से ग्रसित हो, जो राजस्थान का मूल निवासी हो और राजस्थान में रह रहा हो, एवं –

1. जिसकी स्वयं की सम्मिलित वार्षिक आय (समस्त स्त्रोतों से) रुपये 60000 तक हो या,

2. वह किसी ऐसे परिवार का सदस्य हो जिसका चयन, ग्रामीण विकास विभाग या नगरीय शासन विभाग के अधीन किए गए सर्वेक्षण में, गरीबी की रेखा की सीमा से नीचे के परिवार (केन्द्रीय बी.पी.एल./राज्य बी.पी.एल.) में या अन्त्योदय परिवार में किया गया है, या वह आस्था कार्डधारी परिवार का सदस्य है या वह सहरिया/कथौड़ी/खैरवा जाति का हो, पेंशन का पात्र होगा।

पात्रता के नियम 4 (i) के उपनियम 1 व 2 में कोई आवेदक पेंशन की पात्रता रखते हुए भी, यदि प्रार्थी के स्वयं या पति या पत्नि या पुत्र के राज्य सरकार की राजकीय सेवा/राजकीय उपक्रम में सेवारत होने पर या राजकीय पेंशनर हो, तो वह इन नियमों के अंतर्गत पेंशन प्राप्त करने का पात्र नहीं होगा।''

उक्त संशोधन तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।

प्रमुख शासन सचिव

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

क्रमांक :– एफ 9(05) (12–1)/सान्याअवि./2013–14/3711 *दिनांक : 15.04.2013*

आदेश

राज्य सरकार की घोषानुरूप दिनांक 20.4.2013 से 31.05.2013 तक आयोजित किये जाने वाले **विशेष पेंशन महाअभियान** के दौरान राजस्थान सामाजिक सुरक्षा विशेष योग्यजन पेंशन नियम, 2013 के अध्याय–1 के नियम 3 के उपनियम vi, vii, एवं viii एवं राजस्थान सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था, विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा पेंशन नियम, 2013 के अध्याय–1 के नियम 2 के उपनियम vi, vii, एवं viii में वर्णित स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी समिति को नियमों में प्रदत्त कार्य एवं कर्तव्यों को विशेष पेंशन महाअभियान के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में पेंशन प्रकरणों के निपटारे हेतु सम्बन्धित पंचायत समिति के विकास अधिकारी एवं शहरी क्षेत्रों में सम्बन्धित उपखण्ड के उपखण्ड अधिकारी को प्रत्यायोजित (delegate) व अधिकृत किया जाता है।

उक्त पेंशन नियमों के नियम 5 (i) आवेदन देने एवं पेंशन स्वीकार करने की प्रक्रिया के अनुसार – ''ग्रामीण क्षेत्र का आवेदक जिस पंचायत समिति में निवास कर रहा है उस पंचायत समिति के विकास अधिकारी को तथा शहरी क्षेत्र के आवेदक सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी के समक्ष प्रारूप एस एस पी – I में पेंशन के लिए पूर्ण रूप से भरा हुआ एवं सभी प्रमाण–पत्रों की प्रमाणित प्रतिलिपियों सहित, आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा।'' इस सम्बन्ध में पूर्व में विभागीय समसंख्यक आदेश क्रमांक 5604/5605 दिनांक 04..04.13 से आपको अवगत करवा दिया गया है।

पेंशन आवेदन एवं स्वीकृति जारी करने के पश्चात् समस्त आवश्यक रिकार्ड सम्बन्धित स्वीकृत अधिकारी अपने कार्यालय में संधारण करेंगे।

इसके अतिरिक्त नियमों में वर्णित ऐसे परिवार के सदस्य, जिनका चयन ग्रामीण विकास विभाग या नगरीय शासन विभाग के अधीन किये गये सर्वेक्षण में, गरीबी की रेखा की सीमा के नीचे के परिवार (केन्द्रीय एवं राज्य बी.पी.एल. परिवार) में किया गया हों, या अन्तोदय परिवार या आस्था कार्डधारी परिवार आदि के पेंशन प्रकरणों में आय प्रमाण–पत्र लिये जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

विशेष योग्यजन पेंशन के मामलों में वार्षिक आय सीमा रुपये 60000/– से कम एवं वृद्धावस्था, विधवा आदि मामलों में वार्षिक आय सीमा रुपये 48000/– से कम होगी।

अतः उक्त अधिकारी नियमों में वर्णित पेंशन हेतु आवेदन प्राप्त करने एवं स्वीकृत करने हेतु पूर्ण प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित करेंगे जिससे जिले मे अधिक से अधिक लोगों को पेंशन योजनाओं का लाभ दिलाया जा सके।

प्रमुख शासन सचिव

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

क्रमांक :– एफ 9(05) (12–1)/सान्याअवि./2013–14/6122 *दिनांक : 17.04.2013*

आदेश

राजस्थान सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था, विधवा, परित्यक्ता एवं तलाकशुदा पेंशन नियम 2013 के अंतर्गत निम्नानुसार संशोधित/ प्रतिस्थापित किया जाता है :–

अध्याय 3 : के नियम 4 के नीचे दिये गये स्पष्टीकरण के बिन्दु संख्या (घ) के बाद बिन्दु संख्या (ड) निम्नानुसार जोड़ा जाता है :–

(ड.) ''ऐसी महिलाएं, जो तीन वर्ष से अधिक समय से पति से अलग रह रही है, एवं पति से कोई सम्बन्ध नहीं है।''

ग्रामीण क्षेत्र की उक्त परित्यक्ता मलिाओं को, सरपंच ग्राम सचिव एवं पटवारी की संयुक्त रिपोर्ट के आधार पर एवं शहरी क्षेत्र की उक्त परित्यक्ता महिलाओं को स्थानीय नगर निकाय या अधिशाषी अधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी या उसका प्रतिनिधि अधिकारी एवं वार्ड मेम्बर/ वार्ड पार्षद एवं पटवारी की संयुक्त रिपोर्ट के आधार पर संबंधित उपखण्ड अधिकारी के द्वारा परित्यक्ता का प्रमाण पत्र जारी किया जा सकेगा।

तत्पश्चात् प्रति वर्ष परित्यक्ता महिला को पेंशन स्वीकृति अधिकारी को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि वह अपने पति से गत तीन वर्ष से अधिक समय से अलग रह रही है एवं पति से कोई सम्बन्ध नहीं है।''

उक्त संशोधन तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।

प्रमुख शासन सचिव

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

क्रमांक :– एफ 9(05) (12–1)/सान्याअवि./2013–14/ *दिनांक : 19.04.2013*

आदेश

राजस्थान सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था, विधवा, परित्यक्ता एवं तलाकशुदा पेंशन नियम 2013 के अंतर्गत निम्नानुसार संशोधित/ प्रतिस्थापित किया जाता है :–

अध्याय 1 के नियम 2 – का उपनियम :–

"(iii) ''आय' से अभिप्रेत है, कि प्रार्थी के जीवन निर्वाह हेतु स्वयं एवं पत्नि/पति की नियमित आय का कोई स्त्रोत नहीं हो अथवा प्रार्थी एवं पत्नि/पति की समस्त स्त्रोतों से कुल वार्षिक आय रुपये 48000/– से कम हो जब तक कि नियमों में अन्यथा स्पष्ट व विशिष्ट प्रावधान नहीं हो।

आय प्रमाण पत्र राजस्व विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप एवं प्रक्रियानुसार स्वयं द्वारा प्रस्तुत आय की उद्घोषणा जो कि तहसीलदार/नोटेरी पब्लिक द्वारा प्रमाणीकृत हो, प्रमाण–पत्र मान्य होगा।''

अध्याय 2 के नियम 3 का उपनियम :–

''(1) 55 वर्ष या इससे अधिक आयु की महिला तथा 58 वर्ष या इससे अधिक आयु के पुरुष को, जो राजस्थान का मूल निवासी हो तथा राजस्थान में रह रहा हो एवं जिसके जीवन निर्वाह हेतु स्वयं एवं पत्नि/पति की नियमित आय का कोई स्त्रोत नहीं हो, अथवा प्रार्थी एवं पत्नि/पति की समस्त स्त्रोतों से कुल वार्षिक आय रुपये 48000/– से कम हो, या''

उक्त संशोधन तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।

प्रमुख शासन सचिव

ik:i ,l-,l-ih- IX

fof{kIr d lj{kd }kjk fu"ikfnr fd;k tkus okyk c/k&i=

सभी सम्बन्धित व्यक्ति अवगत हो कि मैं ..... (क) (ख) पुत्र ..... जाति ..... आयु ..... निवासी ..... राजस्थान राज्य के राज्यपाल (जिन्हें इसके पश्चात् सरकार कहा गया है, और जिस अभिव्यक्ति में, जब तक संदर्भ द्वारा अपवर्जित या संदर्भ के विरुद्ध न हो, उसके पदोत्तरवर्ती और समनुदेशित सम्मिलित है) के प्रति इन विलेखों के द्वारा, सरकार को अदा की जाने वाली राशि रू. ..... के सम्बन्ध में भली प्रकार एवं सम्यक् रूप से अदा किये जाने के लिये स्वयं को, अपने वारिसों को, निष्पादकों को प्रशासकों को और विधि प्रतिनिधियों को आबद्ध करता हूँ।

दिनांक ..... को मेरे द्वारा हस्ताक्षरित किया गया।

हस्ताक्षर

यतः ..... (न्यायालय) द्वारा विक्षिप्त या विकृत वित्त ..... (ग) (घ) के लिये संरक्षक के रूप में नियुक्त उपर्युक्त आबद्ध व्यक्ति (क ख) ने उक्त (ग घ) को राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन नियम, 2010 के अधीन पेंशन अनुदत्त किये जाने के लिये ..... को आवेदन किया है। यतः उपर्युक्त आबद्ध व्यक्ति ....(क ख) ने उक्त नियमों के प्रयोजनों के लिये और उक्त नियमों के अधीन ..... (ग घ) के पेंशन अनुदत्त किये जाने के लिये उक्त ..... (ग घ) के संरक्षक के रूप में अपनी नियुक्ति के लिये राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन नियम, 2010 के नियम 25 के उप–नियम (iv) के अधीन ..... को आवेदन किया है।

और यतः उक्त नियमों के अधीन पेंशन अनुदत्त किया जाना उक्त ..... (क ख) के उक्त ..... (ग घ) के सम्यक् भरण पोषण व अनुपोषण के लिये रु. ..... का बंध पत्र भरने के लिये सहमत हो गया है।

और यतः उक्त ..... (क ख) उपरिवर्णित बंध–पत्र को भरने के लिये सहमत हो गया है,

अतः अब ऊपर लिखे गये बंध–पत्र की शर्त यह है कि उक्त ..... (क ख) उक्त ..... (ग घ) का नियमित रूप से भरण–पोषण करते हैं और करेंगे तथा पेंशन की रकम उक्त ..... (ग घ) के भरण–पोषण व अनुपोषण के लिये ही वास्तव में लगाऐंगे तो उपयुक्त बंध–पत्र शून्य हो जायेगा अन्यथा यह पूर्णतया प्रवृत्त रहेगा।

एतद्द्वारा यह और स्वीकार किया जाता है कि उक्त (क ख) ..... (ग घ) के उचित भरण–पोषण व अनुपोषण के लिये पेंशन की रकम का उपयोग न होने से सरकार को हुई हानि की वसूली हेतु किसी अन्य अधिकार या उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना सरकार को यह छूट होगी कि इस बंध–पत्र के अधीन संदेय रकम को भू–राजस्व की बकाया की भांति वसूल किया जा सके।

इसके साक्ष्य में ..... (क ख) ने दिनांक ..... को अपने हस्ताक्षर किये।

उपर्युक्त नाम वाले श्री ..... (क ख) निम्नलिखित की उपस्थिति में हस्ताक्षरित और परिदत्त :–

(1) ..... (2) .....

jktLFkku ljdkj
lkekftd U;k; ,o vf/kdkfjrk foHkkx
th&3@1] vEcMdj ekx] t;iqj

क्रमांक : एफ 09(05) (12–1) सान्याअवि/2013–14/7142 जयपुर दिनांक 6–5–13

vkns'k

राजस्थान सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था, विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा पेंशन नियम, 2013 के अध्याय : 1 के नियम 2 – उपनियम **(iii)** को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :–

(iii) ''आय'' से अभिप्रेत है, कि प्रार्थी के जीवन निर्वाह हेतु स्वयं एवं पत्नि/पति की नियमित आय का स्त्रोत नहीं हो अथवा प्रार्थी एवं पत्नि/पति की समस्त स्त्रोतों से कुल वार्षिक आय रुपये 48000/– से कम हो, जब कि नियमों में अन्यथा स्पष्ट एवं विशिष्ठ प्रावधान नहीं हो।

आवेदक को आय का घोषणा पत्र एवं प्रमाणीकरण प्रारुप एस.एस.पी. **I** का भाग–**IV** एवं भाग–**V** में निर्धारित प्रक्रियानुसार देना होगा।''

उक्त संशोधन तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।

¼Mk- euthr flag½
प्रमुख शासन सचिव

---

jktLFkku ljdkj
lkekftd U;k; ,o vf/kdkfjrk foHkkx
th&3@1] vEcMdj ekx] t;iqj

क्रमांक : एफ 09 (05) (12–1) सान्याअवि/2013–14/7351 जयपुर दिनांक 6–5–13

vkns'k

राजस्थान सामाजिक सुरक्षा विशेष योग्यजन पेंशन नियम, 2013 के अध्यायः 1 के नियम 3 का उपनियम **(iii)** को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :–

''**(iii)** ''आय'' से अभिप्रेत है, कि विशेष योग्यजन पेंशन प्रार्थी की समस्त स्त्रोतों से कुल वार्षिक आय रुपये 60000/– से कम हो, जब तक कि नियमों में अन्यथा स्पष्ट एवं विशिष्ठ प्रावधान नहीं हो।

आवेदक को आय का घोषणा पत्र एवं प्रमाणीकरण प्रारूप एस.एस.पी **I** का भाग–**IV** एवं भाग–**V** में निर्धारित प्रक्रियानुसार देना होगा।''

उक्त संशोधन तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।

¼Mk- euthr flag½
प्रमुख शासन सचिव

तंबाकू छोड़िए,
अच्छी सेहत से जुड़िए।

स्वयं और बच्चों को करते हो प्यार
तो तम्बाकू से करो इन्कार।

राजस्थान वालंटरी हेल्थ एसोसिएशन

ए–12, बी, महावीर उद्यान मार्ग, बजाज नगर, जयपुर